



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024

श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 343/79-वि-1-2024-1-क-14-2024
लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया
जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और
2024 कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 04 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 12 सन्
2019 की
अनुसूची 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 42 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और क्रम संख्या 42 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
43	जी0 एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश	श्री जयपाल सिंह शर्मा, ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
44	एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयाँ दूर
करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, "जी0एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़" उत्तर प्रदेश या एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यक्षीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2024, 11 सन् 2024
2024 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

दो नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् (एक) जी0 एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश; तथा (दो) एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय-किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2024) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 343(2)/LXXIX-V-1-2024-1-ka-14-2024

Dated Lucknow, August 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Chaturth Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uchha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FOURTH AMENDMENT)
ACT, 2024

(U.P. Act No. 13 of 2024)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2024.

Short title and
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 4th day of July, 2024.

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no. 42, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 42 for the newly established Universities the following serial numbers shall be inserted namely:—

Amendment of
Schedule 2 of
U.P. Act no. 12
of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
43.	G.S. University, Hapur, Uttar Pradesh	Sri Jaipal Singh Sharma Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh
44.	HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh	Harish Chandra Ram Kali Charitable Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "G.S. University, Hapur" Uttar Pradesh or the HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, by order published in the Gazette direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to
remove
difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and
saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2024 and the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 are hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 10 of 2024,
11 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of two new Private Universities, namely :-(i) G.S. University, Hapur, Uttar Pradesh; and (ii) HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 10 of 2024) and the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 11 of 2024) were promulgated by the Governor on July 4, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.


Registrar
HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 201 राजपत्र-2024-(564)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 81 सा० विधायी-2024-(565)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1 :
संख्या-1001/सत्तर-1-2024-20(7)/2022
लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024

✓ मुख्य ट्रस्टी,
हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत गाजियाबाद में आपके द्वारा एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2024) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची-2 में क्रमांक 44 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या-1000/सत्तर-1-2024-20(07)/2022 दिनांक 16 जुलाई, 2024 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।
संलग्नक-यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
- (2) मंडलायुक्त, मेरठ मण्डल।
- (3) जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- (4) कुलपति/कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (5) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- (6) कुलपति/कुलसचिव, डा ए0पी0जे0अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (7) निदेशक, बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन, लखनऊ।
- (8) निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/संस्थागत वित्त विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग।
- (9) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
- (10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।


Registrar

HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1000/सत्तर-1-2024-20(7)/2022
लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2024) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) द्वारा हरीश चन्द्र राम कली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित, एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देते हैं।

आज्ञा से,


(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।


Registrar
HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad

**Uttar Pradesh Shasan
Uccha Shiksha Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1000/70-1-2024-20(7)/2022. dated: 16 July, 2024:

Notification

No. 1000 /70-1-2024-20(7)/2022.

Lucknow ; Dated: 16 July, 2024

WHEREAS a private University with the name of HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh sponsored by Harish Chandra Ram Kali Charitable Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019), as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 11 of 2024) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh in Ghaziabad, Uttar Pradesh.

By order,


(M. P. Agrawal)
Pramukh Sachiv.


Registrar
HRIT UNIVERSITY
Ghaziabad